

नोटिस संख्या २२३

फा० सं० ४२ २०१९

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

दिनांक:- २५/०५/१९

प्रेषक,

अग्निशाम पदाधिकारी

मुजफ्फरपुर

मो०:- 9470465765

(Sanjay K. Pandey)

0621-2247222

सेवा में,

सभी प्रबंधक / व्यवस्थापक श्रीमान श्री विद्यालय

..... श्रीमान श्री मुजफ्फरपुर

प्रसंग:- राज्य अग्निशाम पदाधिकारी सह निदेशक बिहार पटना का ज्ञापक:-3399 दिनांक:-08.09.2016

एवं जिला पदाधिकारी महोदय का पत्रांक:-31/गो० दिनांक 04.01.2019 के आलोक में।

विषय:- किसी भी श्रेणी भवनों/मॉल/होटल/लघु उद्योग इकाई/उद्योग इकाई/शोरूम/कोल्ड स्टोरेज/गोदाम/विवाह भवन/अस्पताल/नर्सिंग होम/जाँचघर/क्लिनिक/पैथोलॉजी/पेट्रोल पम्प/विद्यालय का फायर ऑडिट करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसंग एवं विषयाधीन के संबंध में सादर सूचित करना है कि राज्य अग्निशाम पदाधिकारी सह निदेशक बिहार पटना एवं जिला पदाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि जिला के सभी श्रेणी भवनों / मॉल / होटल / लघु उद्योग इकाई / उद्योग इकाई / शोरूम / कोल्ड स्टोरेज / गोदाम / विवाह भवन / अस्पताल / नर्सिंग होम / जाँचघर / क्लिनिक / पैथोलॉजी / पेट्रोल-पम्प / विद्यालय इत्यादि में अग्निनिवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से फायर-ऑडिट के लिए निरीक्षण हेतु जाँच प्रपत्र साथ में संलग्न है।

अतः फायर ऑडिट हेतु अपने-अपने संस्थानों / प्रतिष्ठानों में संलग्न जाँच प्रपत्र के अनुसार मानक के अनुरूप अग्निसमाग्री को 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर लगवाना सुनिश्चित करें इसे अति आवश्यक समझे अन्यथा फायर एक्ट अधिनियम 2014 एवं बिहार बिल्डिंग बाई लॉज 2014 का उपविधि - 16 (7) के अनुसार विधि सम्मत कानूनी करवाई की जाएगी। आपके संस्थानों प्रतिष्ठानों के निरीक्षण दिनांक २६/०५/१९ को समय ११:३० बजे किया जाएगा।

विश्वासभाजन

25/05/19

अग्निशामालय पदाधिकारी,

मुजफ्फरपुर